73 (29)

R 3079-III/14

1. रामजियावन पटेल तनय श्री नर्वदा प्रसाद पटेल, उम्र 52 वर्ष, R
2. भैयालाल पटेल तनय श्री नर्वदा प्रसाद पटेल उम्र 55 वर्ष,

दोनों निवासी ग्राम बेलहा, पोस्ट सोनौरा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

.............निगरानीकर्ता

<u>बनाम</u>

बैजनाथ पटेल तनय श्री रामखेलावन पटेल, उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम बेलहा, पोस्ट सोनौरा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0)

................गैरनिगरानीकर्तागण

...कमलेश्वर सिंह .एड के द्वारा आज दिनांक..23-8-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0) प्र0 क्रं0 37/अ70/2013–14 आदेश दिनांक 10–07–14

		के हस्ताक्षर
28–4–2014	**आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया।** **2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 37/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 10–7–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।** **3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 10–7–2014 के द्वारा धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन निराकृत कर अंतिम तौर पर निराकरण किया है। तहसीलदार का आदेश अंतिम स्वरूप का है जिसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है। अतः संहिता के प्रावधानों के तहत निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।** (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	